POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 25.05.2026

1. थाना फेस-1 पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में-

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 23/24.05.2026 की रात्रि को अभियुक्त द्वारा सुरेंद्र शर्मा पुत्र नंदलाल शर्मा, उनकी पत्नी संजू देवी व 02 पुत्रियों पर सोते समय धारदार हथियार से वार कर दिया गया, जिसमे सुरेन्द्र शर्मा, उनकी पत्नी व दोनो पुत्रियां घायल हो गए व उपचार के दौरान संजू देवी की मृत्यु हो गई थी। थाना फेस-1 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही का विवरण--दिनांक **25.05.2026** को उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त हरनाम सिंह पुत्र माखन लाल निवासी ग्राम मगरासा, थाना भूता, बरेली वर्तमान पता हरौला, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान सेक्टर-14 गंदे नाली की पटरी से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 छुरा, 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व चोरी की 01 स्कूटी बरामद की गई है। घायल अभियुक्त हरनाम सिंह उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- हरनाम सिंह पुत्र माखन लाल निवासी ग्राम मगरासा, थाना भूता, बरेली वर्तमान पता हरौला, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 233/2026 धारा 105/110/333 बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 298/2022 धारा 60/63 आबकारी एक्ट, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
3. e-FIRसं0 202600053289 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- घटना में प्रयुक्त (आलाकत्ल) 01 छुरा
2- 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
3- चोरी की 01 स्कूटी बरामद

2. थाना दादरी पुलिस व बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 20/21.05.2026 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा सादा वस्त्रों में अपने घर जा रहे पुलिस कर्मी को सवारी ले जाने के बहाने अपनी कार में बैठाया गया तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना दादरी पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.05.2026 को **थाना दादरी पुलिस** द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त रंजीत कुमार पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम जिटोली, थाना निधौली कलां, एटा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पेरीफेरल अण्डरपास के पास चिटहरा नहर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार रजि0नं0- UP82AT4295 को बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त रंजीत कुमार उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्त के अन्य दो साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी कॉम्बिंग की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

रंजीत कुमार पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम जिटोली, थाना निधौली कलां, एटा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 0223/2026 धारा 352, 351(B), 309(6) बीएनएस, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर

2- घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार रजि0नं0- UP82AT4295